

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 125 : साधारण शास्ति

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।
